

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

/राजस्व/2025/ 160

दिनांक - 16/11/2025

आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 गौजा विश्नोईयों का तला के खातेदारी खसरा नंबर क्रमशः 488, 489, 577/485, 580/497, 581/497, 582/497, 574/497, 570/497, 576/485, 585/499, 508 किसम बा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नहीं है। उक्त रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एवं बी अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर में	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टेयर में
1.	विश्नोईयों का तला	488	16.6245	बा.सो.	0.1560	16.4685
2.	विश्नोईयों का तला	489	11.7116	बा.दो.	0.1520	11.5596
3.	विश्नोईयों का तला	577/485	3.4317	बा.दो.	0.0064	3.4253
4.	विश्नोईयों का तला	580/497	1.1412	बा.दो.	0.0480	1.0932
5.	विश्नोईयों का तला	581/497	0.5666	बा.दो.	0.0320	0.5346
6.	विश्नोईयों का तला	582/497	0.0890	बा.दो.	0.0890	0.0000
7.	विश्नोईयों का तला	574/497	0.0486	बा.दो.	0.0486	0.0000
8.	विश्नोईयों का तला	579/498	1.6187	बा.दो.	0.0400	1.5787
9.	विश्नोईयों का तला	576/485	3.2375	बा.दो.	0.0400	3.1975
10.	विश्नोईयों का तला	585/499	0.0162	बा.दो.	0.0162	0.0000
11.	विश्नोईयों का तला	508	43.7222	बा.दो.	0.2480	6.4898 व 36.9844

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी / बारहमासी रास्ता जो हर मौसम / सीजन के अनुसार बदलता नहीं है एवं वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है। जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजी खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक - 16/11/2025

क्रमांक /राजस्व/2025/ 161-62
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का गंगाला।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रामसर